अनुबंध – सी

अपने ग्राहक को जानें (केवायसी) दस्तावेजीकरण.

ग्राहक की पहचान के लिए निम्नलिखित केवायसी दस्तावेजों को प्राप्त किया जाए एवं इन्हें आधार माना जाए. (i) विविध प्रकार के खाताधारकों / ग्राहकों का खाता खोलते समय परिचय लेने के साथ और (ii) पुराने वर्तमान खाताधारकों / ग्राहकों की पहचान संबंधी सूचना को अद्यतन बनाते समय ये दस्तावेज प्राप्त करना आवश्यक है.

खाताधारक का प्रकार	**पहचान प्रमाणित करनेवाले दस्तावेज**	**सही स्थायी पते * के लिए दस्तावेजी प्रमाण**
व्यक्तियों के खाते **टिप्पणी :** पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की स्थिति में शाखा इनकी वैधता सुनिश्चित करे. टेलीफोन बिल के मामले में शाखा लैंडलाइन या मोबाइल फोन के पोस्टपेड बिल स्वीकार कर सकती है. यूटिलिटी बिलों के मामले में शाखा सुनिश्चित करे कि अद्यतन बिल प्राप्त किया जाए, जो एक महीने से पुराना न हो. यदि खाता मझौले / बडी जोखिमवाले खाते के रूप में वर्गीकृत किया गया हो, तो शाखा को अधिक सावधानी से जांच परख के तौर पर एक से अधिक दस्तावेज प्राप्त कर पडताल करनी चाहिए. सही स्थायी पता, जिसका संदर्भ यहां दिया गया है, का अर्थ है वह पता जहां व्यक्ति सामान्यतया निवास करता है और यह पता ग्राहक के पते के सत्यापन के लिए बैंक द्वारा स्वीकृत युटिलिटी बिल या अन्य दस्तावेज के पते से मिलनेवाला होना चाहिए.	1. पासपोर्ट 2. पैन कार्ड 3. मतदाता पहचान कार्ड 4. ड्राइविंग लाइसेन्स, फोटो के साथ. 5. फोटो पहचान कार्ड / नियोक्ता से पुष्टि (बशर्ते बैंक को यह संतोषजनक लगे) 6. नरेगा द्वारा जारी किया गया जॉबकार्ड, जिसपर राज्य सरकार के अधिकारी के हस्ताक्षर हों. 7. भारत के युनिक पहचान प्राधिकारी द्वारा जारी पत्र, जिसमें नाम, पता और आधार नंबर का विवरण शामिल हो. 8. मान्यताप्राप्त सार्वजनिक प्राधिकारी या सार्वजनिक सेवक से पत्र जिसमें ग्राहक की पहचान (फोटो) को सत्यापित किया गया हो, बशर्ते यह बैंक की दृष्टि से संतोषजनक हो. 9. नियोक्ता / अन्य बैंक की पुष्टि / पत्र जिसमें अन्य बातों के साथ साथ ग्राहक की पहचान (फोटो) को सत्यापित किया गया हो. <u>(दो अद्यतन पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ और उपरोक्त दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज की प्रति प्राप्त की जाए.)</u> टिप्पणी : **<u>ग्रामीण शाखाओं के लिए :</u>** उपरोक्त दस्तावेजों में से एक भी दस्तावेज उपलब्ध न हो, **<u>तो आवेदक की पहचान प्रमाणित करने के लिए</u>** फोटो राशन कार्ड / स्थानीय निकाय / एनजीओ / एमएफआई का प्रमाणपत्र पर्याप्त होगा.	1. पासपोर्ट 2. मतदाता पहचान कार्ड 3. ड्राइविंग लाइसेन्स, फोटो के साथ. 4. टेलीफोन बिल 5. बिजली का बिल. 6. पते के साथ बैंक खाते का विवरण. 7. आयकर / संपत्ति कर मूल्यांकन आदेश, पते के साथ. 8. मान्यताप्राप्त सार्वजनिक प्राधिकारी या सार्वजनिक सेवक से पत्र जिसमें ग्राहक के निवासी पते को सत्यापित किया गया हो, बशर्ते यह बैंक की दृष्टि से संतोषजनक हो. 9. नियोक्ता का पत्र, बशर्ते यह बैंक की दृष्टि से संतोषजनक हो. 10. राशन कार्ड <u>(उपरोक्त दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज की प्रति प्राप्त की जाए.)</u> **टिप्पणी :** **ग्रामीण शाखाओं के लिए :** उपरोक्त दस्तावेजों में से एक भी दस्तावेज उपलब्ध न हो, तो आवेदक के निवासी पते को प्रमाणित करने के लिए फोटो राशन कार्ड / स्थानीय निकाय / एनजीओ / एमएफआई का प्रमाणपत्र पर्याप्त होगा.

	शाखा भावी ग्राहक के पहचान दस्तावेज के साथ फोटो का मिलान अवश्य करें.	
संयुक्त खाताधारकों के लिए जो एक दूसरे के करीबी रिश्तेदार हैं	1. संयुक्त खाताधारकों में से हर व्यक्ति की पहचान का स्वतंत्र प्रमाण प्राप्त करना आवश्यक है. (उपरोल्लिखित सूची में से कोई एक पहचान दस्तावेज)	1. संयुक्त खाताधारकों में से हर व्यक्ति के निवास के पते का स्वतंत्र प्रमाण प्राप्त करना आवश्यक है. (उपरोल्लिखित सूची में से कोई एक निवासी पते का दस्तावेज)
करीबी रिश्तेदारों के लिए (यानी पत्नी, पुत्र, पुत्री और माता-पिता इत्यादि) जो अपने पति / पिता / माता / पुत्र / पुत्री इत्यादि के साथ रहते हैं और निवासी पते के सत्यापन के लिए आवश्यक युटिलिटी बिल इनके नाम पर नहीं हैं, शाखा प्राप्त करेगी -	1. संभाव्य ग्राहक का पहचान दस्तावेज (उपरोल्लिखित सूची में से कोई एक पहचान दस्तावेज) 2. जिसके साथ संभाव्य ग्राहक रहता हो, उस रिश्तेदार का पहचान दस्तावेज (उपरोल्लिखित सूची में से कोई एक पहचान दस्तावेज) 3. रिश्तेदार का इस आशय का घोषणा पत्र कि उक्त व्यक्ति (संभाव्य ग्राहक), जिसे बैंक में खाता खोलना है, उसका रिश्तेदार है (रिश्ते का नाम बताएं) और उसके साथ रहता है, बशर्ते बैंक को यह संतोषजनक लगे.	1. जिसके साथ संभाव्य ग्राहक रहता हो, उस रिश्तेदार का युटिलिटी बिल 2. उपरोक्त के अलावा शाखा संभाव्य ग्राहक के पते के अधिक सत्यापन के लिए यथोचित रूप से कोई भी पूरक प्रमाण प्राप्त करे, जैसे कि डाक द्वारा प्राप्त पत्र आदि.
उन ग्राहकों के मामले में, जो किरायेदार के रूप में रहते हैं और निवासी प्रमाण के रूप में आवश्यक युटिलिटी बिल्स उनके नाम पर नहीं हैं, बैंक प्राप्त करे –	1. ऐसे ग्राहक का पहचान दस्तावेज (उपरोल्लिखित सूची में से कोई एक पहचान दस्तावेज) 2. उसके मकानमालिक का पहचान दस्तावेज (उपरोल्लिखित सूची में से कोई एक पहचान दस्तावेज) 3. मकानमालिक का इस आशय का घोषणा पत्र कि उक्त व्यक्ति (संभाव्य ग्राहक), जिसे बैंक में खाता खोलना है, वर्तमान में उसके साथ रहता है जिसके लिए उसने अपना पहचान दस्तावेज तथा युटिलिटी बिल दिया है, बशर्ते बैंक को यह संतोषजनक लगे. 4. मकानमालिक से अलग से पुष्टि पत्र कि अपने पहचान दस्तावेज / युटिलिटी बिल खाता खोलने के लिए उसके किरायेदार को दिए गए हैं.	1. यदि मकान मालिक और संभाव्य ग्राहक के बीच पट्टा / किरायेदारी का करार निष्पादित किया गया है अरैं अथवा समय समय पर नवीकृत किया गया है, बशर्ते बैंक को यह संतोषजनक लगे. 2. जिस मकान में वह रहता है, उसके मकानमालिक का युटिलिटी बिल
नियोक्ता द्वारा आबंटित मकान में रहनेवाले ग्राहकों के मामले में और निवासी प्रमाण के रूप में आवश्यक	1. ऐसे ग्राहक का पहचान दस्तावेज (उपरोल्लिखित सूची में से कोई एक पहचान दस्तावेज)	1. नियोक्ता के पत्रशीर्ष पर मकान आबंटित करनेवाला पत्र, जिसपर समुचित प्राधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा

युटिलिटी बिल्स उनके नाम पर नहीं हैं, बैंक प्राप्त करे –		हस्ताक्षर किए गए हों और मकान का संपूर्ण पता और मकान का स्थान, मकान की मिल्कियत और मकान आबंटित करने की तारीख इत्यादि का विवरण दिया गया हो, बशर्ते बैंक को यह संतोषजनक लगे, बशर्ते बैंक को यह संतोषजनक लगे. 2. उसके नियोक्ता के नाम पर जारी युटिलिटी बिल में वही पता हो, जो आबंटन पत्र में उल्लिखित किया गया हो. 3. बैंक को प्रस्तुत खाता खोलने के फार्म में घोषित स्थायी निवासी पते पर प्राप्त युटिलिटी बिल. 4. नियोक्ता से अलग से पुष्टि पत्र कि उन्होंने उनके स्वामित्व के मकान के लिए या अपने नाम पर पट्टे पर लिए मकान के लिए आबंटन पत्र और युटिलिटी बिल जारी किया है, जो खाता खोलने के प्रयोजन के लिए दिया गया है.
जो छात्र अपनी संस्था / कॉलेज द्वारा आबंटित छात्रावास के कमरे में रहते हैं और निवासी प्रमाण के रूप में आवश्यक युटिलिटी बिल्स उनके नाम पर नहीं हैं, बैंक प्राप्त करे –	1. कॉलेज / संस्था द्वारा जारी पहचान (आईडी) कार्ड 2. पाठ्यक्रम में प्रवेश संबंधी पत्र, जिसमें संस्था / कॉलेज द्वारा प्रवेशित पाठ्यक्रम की अवधि का उल्लेख किया गया हो. 3. उनके माता-पिता का पहचान दस्तावेज (यानी माता का या पिता का)	1. संस्था / कॉलेज के पत्रशीर्ष पर छात्रावास का कमरा आबंटित करनेवाला पत्र, जिसपर समुचित प्राधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों और छात्रावास का संपूर्ण पता और छात्रावास का स्थान, कमरा नंबर इत्यादि और मकान आबंटित करने की तारीख का विवरण दिया गया हो. 2. उसके माता-पिता के नाम पर उनके स्थायी पते पर जारी युटिलिटी बिल. बैंक को प्रस्तुत खाता खोलने के फार्म में घोषित स्थायी निवास के पते से इसका सत्यापन किया जाए. 3. ऐसे छात्र अपने पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान हर वर्ष अपनी संसथा / कॉलेज का छात्रावास में कमरा आबंटित करने संबंधी पत्र टर्म आरंभ होने से पहले प्रस्तुत करे. ऐसा न करने पर बैंक उनके खाते के परिचालनों पर रोक लगा सकती है. 4. पाठ्यक्रम / टर्म समाप्त होने पर ऐसे छात्रों को अपना नया पता दस्तावेजी

		प्रमाण के साथ खाते के परिचालन हेतु प्रस्तुत करना चाहिए, बशर्ते बैंक को यह संतोषजनक लगे.
विदेशी छात्र जो अपनी संस्था / कॉलेज द्वारा आबंटित छात्रावास के कमरे में रहते हैं और निवासी प्रमाण के रूप में आवश्यक युटिलिटी बिल्स उनके नाम पर नहीं हैं, बैंक प्राप्त करे –	1. कॉलेज / संस्था द्वारा जारी पहचान (आईडी) कार्ड 2. पाठ्यक्रम में प्रवेश संबंधी पत्र, जिसमें संस्था / कॉलेज द्वारा प्रवेशित पाठ्यक्रम की अवधि का उल्लेख किया गया हो. 3. पासपोर्ट और वीजा की प्रति	1. संस्था / कॉलेज के पत्रशीर्ष पर छात्रावास का कमरा आबंटित करनेवाला पत्र, जिसपर समुचित प्राधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों और छात्रावास का संपूर्ण पता और छात्रावास का स्थान, कमरा नंबर इत्यादि और मकान आबंटित करने की तारीख का विवरण दिया गया हो. 2. उसके माता-पिता के नाम पर उनके स्थायी पते पर जारी युटिलिटी बिल. बैंक को प्रस्तुत खाता खोलने के फार्म में घोषित स्थायी निवास के पते से इसका सत्यापन किया जाए. 3. ऐसे छात्र अपने पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान हर वर्ष अपनी संसथा / कॉलेज का छात्रावास में कमरा आबंटित करने संबंधी पत्र टर्म आरंभ होने से पहले प्रस्तुत करे. ऐसा न करने पर बैंक उनके खाते के परिचालनों पर रोक लगा सकती है. 4. पाठ्यक्रम / टर्म समाप्त होने पर ऐसे छात्रों को अपना नया पता दस्तावेजी प्रमाण के साथ खाते के परिचालन हेतु प्रस्तुत करना चाहिए, बशर्ते बैंक को यह संतोषजनक लगे.
जिस महिला की नई नई शादी हुई है, उनके मामले में नया खाता खोलने या वर्तमान खाते को परिवर्तित करने के लिए (यानी शादी के पहले के नाम में परिवर्तन के लिए)	1. विवाह का प्रमाण यानी विवाह प्रमाणपत्र या विवाह प्रमाणपत्र के अभाव में नोटराइज्ड शपथपत्र. जहां विवाह का प्रमाण प्रस्तुत करना मुश्किल हो, वहां बैंक को सुपरिचित जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा अनुरोध पत्र में नाम में परिवर्तन की पुष्टि प्राप्त करना पर्याप्त होगा. 2. विवाह के सुस्पष्ट फोटो, जहां पति-पत्नी एक साथ दिखाई दे रहे हों और महिला की फोटो विवाहपूर्व पहचान दस्तावेजों में उपलब्ध फोटो से मिलती हो.	1. नये पते के सत्यापन के लिए विवाह का निमंत्रण कार्ड 2. वधू के पते के प्रमाण के रूप में कोई भी दस्तावेज (व्यक्ति के खाते के लिए उपरोल्लिखितानुसार पते के प्रमाण के लिए)

	3. वर-वधू का युगल फोटो (विवाह का फोटो) 4. वर्तमान ग्राहक द्वारा परिचय. परिचयकर्ता के विषय में केवायसी जांच पूरी की गई हो और उसका बैंक में कम से कम एक वर्ष से संतोषजनक तरीके से संचालित खाता हो. 5. नई नई शादीशुदा महिला का यदि बैंक में पहले से खाता हो और केवायसी की प्रक्रिया पूरी की गई हो, तो उसका अपना घोषणापत्र काफी होगा. 6. महिला जमाकर्ता का नाम में परिवर्तन का अनुरोध करनेवाला पत्र, जिसमें उसने निर्देशित किया हो कि वह अपने हस्ताक्षर की शैली / शब्द बदलना चाहती है. यदि ऐसा है तो हस्ताक्षर ने सिरे से प्राप्त किए जाएं. 7. पति के पहचान दस्तावेज, जहां परिवारिक नाम आवेदन के साथ मिलता हो, (i) नया बैंक खाता खोलने के लिए या (ii) विवाहपूर्व नाम में परिवर्तन के लिए	
<u>कंपनियों के खाते</u> - कंपनी का नाम - सभी निदेशकों के नाम व पते - प्राधिकृत हस्ताक्षरियों के नाम व उनके पते - व्यवसाय का प्रमुख स्थान - कंपनी के डाक पते - टेलीफोन / फैक्स नंबर - कंपनी और उसके निदेशकों / खाते के संबंध में प्राधिकृत हस्ताक्षरियों के ई मेल पते.	**(निम्नलिखित सभी दस्तावेज प्राप्त करें)** 1. कंपनी के गठन / निगमन का प्रमाणपत्र और संगठन का ज्ञापन व नियम 2. खाता खोलने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल का संकल्प और निदेशकों की सूची और खाता परिचालित करने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों की सूची 3. निदेशकों और प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं की पहचान फोटोसहित पहचान दस्तावेजों के आधार पर होगी, जैसा कि व्यक्तिगत खातों के मामले में किया जाता है और हस्ताक्षर कार्ड को कंपनी द्वारा समुचित रूप से अधिप्राणित किया जाना चाहिए.	**(निम्नलिखित सभी दस्तावेज प्राप्त करें)** 1. कंपनी के नाम पर टेलीफोन बिल, जिसमें कंपनी का प्रमुख पता और डाक पता, जैसा कि मामला हो, दिया जाए. 2. कंपनी का फैक्स नंबर और ई मेल का पता, जैसा कि मामला हो. 3. कंपनी के नाम पर युटिलिटी बिल, जिसे उचित जांच परख के तौर पर लिया जाए. 4. निदेशकों और प्राधिकृत हस्ताक्षर-कर्ताओं के पते के प्रमाण के लिए कोई भी दस्तावेज (जैसा कि व्यक्तियों के खातों के लिए ऊपर दिया गया है)

	4. यदि कंपनी के प्रबंधकों, अधिकारियों या कर्मचारियों को कंपनी की ओर से कारोबार संबंधी संव्यवहार करने के लिए मुख्तारनामा दिया गया हो. 5. कंपनी के नाम पर पैन आबंटित करने के पत्र की प्रति.	
<u>एकल</u> स्वामित्ववाली फर्मों के खाते - कानूनी नाम - पता - मालिक का नाम और उसका पता - फर्म और मालिक के टेलीफोन नंबर - फर्म और मालिक / खाते में प्राधिकृत हस्ताक्षरी के ई मेल पते.	**(निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई दो प्राप्त करें)** नाम, पता और कंपनी की गतिविधि का प्रमाण, जैसे पंजीयन प्रमाणप (पंजीकृत कंपनी के मामले में), म्युनिसिपल प्राधिकरियों का प्रमाणपत्र / द्वारा दूकान व आस्थापना अधिनियम के तहत जारी लाइसेंस, बिक्री व आयकर विवरणियों, केन्द्रीय बिक्री कर / वैट प्रमाणपत्र, बिक्री कर / सेवा कर / व्यवसाय कर प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रमाणपत्र / पंजीकरण दस्तावेज. पंजीयन प्राधिकरण द्वारा जारी लाइसेंस, जैसे इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटंटस ऑफ इंडिया, इन्स्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटंटस ऑफ इंडिया, इन्स्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, इंडियन मेडिकल कौन्सिल, फूड एंड ड्रग कंट्रोल ऑथॅरिटीज इत्यादि द्वारा जारी प्रैक्टिस प्रमाणपत्र. केन्द्र सरकारी या राज्य सरकारी प्राधिकरण / विभाग द्वारा स्वामित्व फर्म के नाम में जारी पंजीकरण / लाइसेंसिंग दस्तावेज, डीजीएफफटी के कार्यालय द्वारा पहचान दस्तावेज के रूप में जारी आईईसी (आयातक / निर्यातक कोड). और कोई ऐसा दस्तावेज, फोटो के साथ (जैसा कि व्यक्तियों के खातों के लिए ऊपर दिया गया है) जिससे मालिक की पहचान प्रमाणित होती हो.	**(निम्नलिखित सभी दस्तावेज प्राप्त करें)** 1. फर्म के नाम पर टेलीफोन बिल. 2. फर्म के नाम पर युटिलिटी बिल, जिसे उचित जांच परख के तौर पर लिया जाए. 3. मालिक के पते के प्रमाण के लिए कोई भी दस्तावेज (जैसा कि व्यक्तियों के खातों के लिए ऊपर दिया गया है)
<u>साझेदारी फर्मों के खाते</u> - कानूनी नाम - पता - भागीदारों के नाम और उनके पते	**(निम्नलिखित सभी दस्तावेज प्राप्त करें)** 1. पंजीयन का प्रमाणपत्र, यदि पंजीकरण किया गया हो.	**(निम्नलिखित सभी दस्तावेज प्राप्त करें)** 1. फर्म और भागीदारों के नाम पर टेलीफोन बिल.

- फर्म और भागीदारों के टेलीफोन नंबर - फर्म और भागीदारों / खाते में प्राधिकृत हस्ताक्षरी के ई मेल पते.	2. भागीदारी का पत्र. 3. यदि कंपनी के भागीदार या कर्मचारी को कंपनी की ओर से कारोबार संबंधी संव्यवहार करने के लिए मुख्तारनामा दिया गया हो. (यदि लागू हो) 4. मुख्तारनामा धारक भागीदारों और व्यक्तियों की पहचान प्रमाणित करने के लिए कोई दस्तावेज, फोटो के साथ (जैसा कि व्यक्तियों के खातों के लिए ऊपर दिया गया है) 5. फर्म के नाम पर पैन आबंटित करने के पत्र की प्रति.	2. फर्म के नाम पर युटिलिटी बिल, जिसे उचित जांच परख के तौर पर लिया जाए. 3. भागीदारों और मुख्तारनाताधारक व्यक्तियों के पते के प्रमाण के लिए कोई भी दस्तावेज (जैसा कि व्यक्तियों के खातों के लिए ऊपर दिया गया है)
न्यास और फाउंडेशन के खाते - कानूनी नाम - न्यासी, सेटलर्स, लाभार्थियों और हस्ताक्षरकर्ताओं के नाम - संस्थापक, प्रबंधकों / निदेशकों और लाभर्थियों के नाम व पते. - टेलीफोन / फैक्स नंबर - न्यासियों / खाते में प्राधिकृत हस्ताक्षरी के ई मेल पते.	**(निम्नलिखित सभी दस्तावेज प्राप्त करें)** 1. पंजीयन का प्रमाणपत्र, यदि पंजीकरण किया गया हो. 2. यदि कंपनी की ओर से कारोबार संबंधी संव्यवहार करने के लिए मुख्तारनामा दिया गया हो. (यदि लागू हो) 3. न्यासियों , सेटलर, लाभार्थियों और मुख्तारनामा धारक, संस्थापक / प्रबंधकों / निदेशकों / हस्ताक्षरकर्ताओं की पहचान प्रमाणित करने के लिए कोई दस्तावेज (जैसा कि व्यक्तियों के खातों के लिए ऊपर दिया गया है) 4. न्यासियों , सेटलर, लाभार्थियों और मुख्तारनामा धारकों और न्यास के दैनंदिन कामकाज से जुडे अन्य महत्त्वपूर्ण प्राधिकारियों के नामों की और पतों की सूची, जो बैंक की दृष्टि से संतोषजनक हो. 5. खाता खोलने के लिए फाउंडेशन / एसोसिएशन की प्रबंध समिति का संकल्प. 6. न्यास / फाउंडेशन के नाम पर पैन	**(निम्नलिखित सभी दस्तावेज प्राप्त करें)** 1. न्यास / फाउंडेशन के नाम पर टेलीफोन बिल. 2. न्यास / फाउंडेशन के नाम पर युटिलिटी बिल, जिसे उचित जांच परख के तौर पर लिया जाए. 3. न्यासियों , सेटलर, लाभार्थियों और मुख्तारनामा धारक, संस्थापक / प्रबंधकों / निदेशकों / हस्ताक्षरकर्ताओं के पते के प्रमाण के लिए कोई भी दस्तावेज (जैसा कि व्यक्तियों के खातों के लिए ऊपर दिया गया है)

	आबंटित करने के पत्र की प्रति.	
सोसायटी / एसोसिएशन / क्लबों के खाते - कानूनी नाम - चयनित कार्यकारी व्यक्तियों के नाम व पते. - टेलीफोन नंबर - सोसायटी / एसोसिएशन / क्लबों और कार्यकारी सदस्यों / खाते में प्राधिकृत हस्ताक्षरी के ई मेल पते.	**(निम्नलिखित सभी दस्तावेज प्राप्त करें)** 1. पंजीयन का प्रमाणपत्र, यदि पंजीकरण किया गया हो. 2. उप नियमों की प्रति 3. सोसायटी / एसोसिएशनों की प्रबंध समिति का संकल्प. 4. चयनित कायकारी सदस्यों की सूची 5. प्रत्येक चयनित कार्यकारी सदस्य / हस्ताक्षरकर्ता और उनकी ओर से संव्यवहार करने के लिए मुख्तारनामा धारक व्यक्ति, यदि कोई है, की पहचान प्रमाणित करने के लिए कोई दस्तावेज (जैसा कि व्यक्तियों के खातों के लिए ऊपर दिया गया है) 6. सोसायटी / एसोसिएशन / क्लब के नाम पर पैन आबंटित करने के पत्र की प्रति.	**(निम्नलिखित सभी दस्तावेज प्राप्त करें)** 1. सोसायटी / एसोसिएशन / क्लब के नाम पर टेलीफोन बिल. 2. सोसायटी / एसोसिएशन / क्लब के नाम पर युटिलिटी बिल, जिसे उचित जांच परख के तौर पर लिया जाए. 3. कार्यकारी सदस्यों / हस्ताक्षरकर्ताओं और मुख्तारनामाधारक व्यक्तियों, यदि कोई है, के पते के प्रमाण के लिए कोई भी दस्तावेज (जैसा कि व्यक्तियों के खातों के लिए ऊपर दिया गया है)
अविभक्त हिंदू परिवार के खाते	**(निम्नलिखित सभी दस्तावेज प्राप्त करें)** 1. कर्ता का घोषणापत्र 2. कर्ता की पहचान प्रमाणित करने के लिए कोई दस्तावेज (जैसा कि व्यक्तियों के खातों के लिए ऊपर दिया गया है) 3. परिवार के सभी बालिग सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित हिंदू अविभक्त परिवार का पत्र	**(निम्नलिखित दस्तावेज प्राप्त करें)** 1. कर्ता के पते के प्रमाण के लिए कोई भी दस्तावेज (जैसा कि व्यक्तियों के खातों के लिए ऊपर दिया गया है)
अनिवासी व्यक्ति	**(निम्नलिखित सभी दस्तावेज प्राप्त करें)** 1. पासपोर्ट 2. निवासी वीजा टिप्पणी : इन दस्तावेजों की प्रतियां बैंक प्राधिकारी द्वारा मूल प्रति से संत्यापित की जाएं या बैंकर / नोटरी पब्लिक / भारतीय दूतावास द्वारा समुचित रूप से अधिप्रमाणित की जाए, बशर्ते ये बैंक को संतोषजनक लगे.	